संख्या-545/2020/998/22-2-2020-17(898)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27351/प्रोबे0अनु0(2)-217/सला0समिति/ (एम 05-06-2020)/2020 दिनांक 02.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार, अलैइयापुर, थाना-राजा का रामपुर वर्तमान पटियाली जनपद-एटा वतर्मान जनपद-कासगंज का निवासी है। पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 11.10.1998 को बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डा0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-227/1999 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, एटा के आदेश दिनांक 25.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.08.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.07.2020 तक 15 वर्ष 04 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 11 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 07.11.2019 में यह उल्लेख किया गया है कि "सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार का विचारण अथवा उसकी दोषसिद्धि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नहीं की गयी है, न ही अभियुक्त अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कभी उपस्थित हुआ है। ऐसी दशा में अभियुक्त के आचरण के बारे में अधोहस्ताक्षरी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्त शिवकिशोर के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई भी मत दिया जाना सम्भव नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में यदि प्रशासन के स्तर से संयुक्त रूप से विधिनुसार कोई कार्यवाही की जाती है, तो उसमें अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 11.10.1998 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डा0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की गोली मारकर हत्या किये जाने, कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना होने, कारागार से रिहा होने पर समाज में विपरीत प्रभाव पडने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा सामान्य होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वरा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु अभिमत में कहा गया कि प्रशासन स्तर से संयुक्त रूप से विधिनुसार कोई कार्यवाही की जाती है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर पुत्र श्री सुशील कुमार को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवकिशोर (बन्दी संख्या-19504) पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-545/2020/998(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in